# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग 1—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 171] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 27, 1982/आश्विन 5, 1904
No. 171] NEW DELHI, MONDAY, SEPT. 27, 1982/ASHVINA 5, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation


## विधि न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय

(न्याय विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 1982

सं० 46/2/81-न्याय.—भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के पश्चिम जिलों में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक पीठ के गठन किए जाने की मांग से उत्पन्न होने वाले सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए तारीख 4 सितम्बर, 1981 के संकल्प संख्या : 46/2/81 न्याय के तहत श्री जसवंत सिंह की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय आयोग की स्थापना की थी। आयोग को अपनी रिपोर्ट छः महीने के भीतर प्रस्तुत करनी थी। आयोग का कार्यकाल तारीख 20 मार्च, 1982 के समसंख्यक संकल्प के तहत 3 सितम्बर, 1982 तक बढ़ाया गया था। भारत सरकार ने आयोग का कार्यकाल छः महीने की अवधि के लिए और बढ़ाने का फैसला किया है। तदनुसार, आयोग का कार्यकाल आगे छः महीने के लिए बढ़ाया जाता है और आयोग अपनी रिपोर्ट 3 मार्च, 1983 तक प्रस्तुत कर देगा।

कैलाश चन्द्र कनकन, उप सचिव

## MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Justice)

### RESOLUTION

New Delhi, the 27th September, 1982

**No. 46/2/81-JUS.**—The Government of India had set up a three-member Commission with Shri Jaswant Singh as Chairman vide Resolution No. 46/2/81-JUS dated the 4th September, 1981 to consider all aspects arising out of the demand for constitution of a Bench of the Allahabad High Court in the western districts of Uttar Pradesh. The Commission was to submit its report within six months. The term of the Commission was extended upto 3rd September 1982 vide Resolution of even number dated 20th March, 1982. The Government of India have resolved to extend its term for a further period of six months. Accordingly the term of the Commission is extended for a further period of six months, and the Commission will submit its report by 3rd March, 1983.

K. C. KANKAN, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982